


वार्षिक लेखा

2016-17



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार,

कोर- IV बी, प्रथम तल, भारत पर्यावास केन्द्र, लोधी रोड़, नई दिल्ली-110003
वेबसाइट: www.ncrpb.nic.in



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार

(विषय सूची)

क्र.सं.	संक्षिप्त विवरणिका	पृष्ठ सं.
1	लेखा परीक्षा रिपोर्ट	i - v
2	तुलन पत्र	1
3	आय-व्यय खाता (योजनागत)	2
4	आय-व्यय खाता (गैर-योजनागत)	3
5	प्राप्ति तथा भुगतान खाता	4-5
6	अनुसूची 1 से 20	6-15
7	31.03.2017 को बनाए गए तुलन-पत्र में संलग्न महत्वपूर्ण लेखा नीतियां (अनुसूची-21)	16-20
	31.03.2017 को बनाए गए तुलन-पत्र के गये-खातों पर आकस्मिक देयताएं पर टिप्पणी (अनुसूची -22)	21-26



गोपनीय

संख्या / No.

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग,

कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-1, नई दिल्ली

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT,
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF COMMERCIAL
AUDIT & EX-OFFICIO MEMBER, AUDIT BOARD-1, New Delhi

दिनांक / Dated

सेवा में,

सचिव, भारत सरकार,
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
निर्माण भवन,
नई दिल्ली ।

विषय:- वर्ष 2016-17 के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (NCRPB) के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

महोदय,

मैं इस पत्र के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के वर्ष 2016-17 के प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति तथा उन पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद के पटल पर रखने के लिए अग्रेषित कर रहा हूँ ।
कृपया यह सुनिश्चित किया जाए कि इस पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक लेखाओं को शासी निकाय (Governing body) द्वारा अनुमोदित अवश्य करा लिया जाए ।
संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब वे संसद को प्रस्तुत किए गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजी जाए ।

भवदीय,

अनुलग्नक: यथोपरि

हस्ता०


(नीलेश कुमार साह)
प्रधान निदेशक

दिनांक : 15.12.2017

संख्या : DD-I/HQ/NCRPB/Annual A/c/1-82/2017-18/993

प्रतिलिपी:-

- ✓ सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, प्रथम तल, कोर IV-बी, भारत पर्यावास केन्द्र, लोधी रोड, नई दिल्ली 110 003 को एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न की जा रही है ।
2. महानिदेशक (वाणिज्यिक-1) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय नई दिल्ली को उनके पत्र संख्या 539/CA-III/ND-I/Draft SAR/2016-17/NCRPB/83-2017 दिनांक 12.12.2017 तथा मुख्यालय के प्राप्त ई-मेल दिनांक 15.12.2017 के संदर्भ में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न की जा रही है। तथ्यों एवं ऑकड़ों की जाँच कर ली गई है। अनुमोदित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दो जगह संशोधन किए गए हैं जो Annexure में संलग्न हैं।


(नीलेश कुमार साह)
प्रधान निदेशक

-1-

Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of National Capital Region Planning Board for the year ended 31 March 2017.

We have audited the attached Balance Sheet of National Capital Region Planning Board (NCRPB) as at 31 March 2017 and Income and Expenditure Account/Receipt and Payment Account for the year ended on that date under section 19(2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 25 of the National Capital Region Planning Board Act, 1985. These financial statements are the responsibility of the NCRPB's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report (SAR) contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification; conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosures norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Laws, Rules & Regulations (propriety and regularity) and efficiency-cum-performance aspects etc., if any, are reported through Inspection Report/CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

(i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.

(ii) The Uniform Format of Accounts for Central Autonomous Bodies (ABs) was made applicable to all Autonomous Bodies which, were not governed by separate Acts of Parliament, by the Ministry of Finance, Government of India letter No.CDN/MF-CGA/98-99/Pt. file/576-627 dated 03-01-2002. The Uniform Format of Accounts was made applicable vide Ministry of Finance Office Memorandum No. F.No.10 (1)/Misc./2005/TA/450-490 dated 23 July 2006 to such Central Autonomous Bodies which were exempted earlier.

The Balance Sheet and Receipts and Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the Uniform Format of Accounts for Central Autonomous

Bodies (ABs) prescribed by the Ministry of Finance. As regards Income and Expenditure Account, instead of preparing a consolidated account for the NCRPB as a whole, separate accounts have been prepared for income and expenditure towards Plan and Non Plan grants. Thus, the Income and Expenditure Account has not been drawn up in the format prescribed by the Ministry of Finance.

(iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the National Capital Region Planning Board as required under Section 33 (1 and 2) of the National Capital Region Planning Board Rules, 1985 in so far as it appears from our examination of such books.

(iv) We further report that:

A. Income & Expenditure (Non Plan) Account

Expenditure ₹ 17.43 crore

Against the Non Plan grant of ₹ 4.40 crore received during the year, NCRPB has incurred an amount of ₹ 17.43 crore (Establishment expenses of ₹ 16.35 crore and Administrative expenses of ₹ 1.08 crore). Thus, the amount of ₹ 11.74 crore incurred in excess of Grant received was not in line with the provisions of Section 22(2) (a) of NCRPB Act 1985, read with Section 21(2) of the Act, which stipulates that the total expenses necessary for meeting the salaries, allowances and other remuneration of the Member-Secretary, officers and other employees of the Board and such amounts as may be necessary to meet the other administrative expenses of the Board, shall not exceed the amount appropriated for this purpose by the Parliament.

(B) Significant Accounting Policies

Accounting Policy No. 3 (a) states that "All expenses are recognized on accrual basis except payment of Leave Travel Concession, Medical Claims & Tuition Fees Reimbursement to employees, which are accounted on cash basis". As NCRPB was preparing its accounts on accrual basis, accounting of the aforesaid expenses on cash basis was against the generally accepted accounting principles. The accounting policy of the NCRPB was also not in conformity with the Uniform Format of Accounts for Autonomous Bodies, which stipulates preparation of accounts on accrual basis.

(C) Grants in Aid

During the year 2016-17, the NCRPB received grants-in-aid of ₹ 56.82 crore (₹ 50 crore under Plan, ₹ 4.40 crore under Non-Plan and ₹ 2.42 crore for study for preparation of DPR for Regional Rapid Transit System corridors). The NCRPB has utilized the entire grant of ₹ 56.82 crore during the year.

(D) Management letter

Deficiencies which have not been included in the Separate Audit Report will be brought to the notice of the Member Secretary of National Capital Region Planning Board through a Management letter & issued separately for remedial/corrective action.

(v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income & Expenditure Account, Receipt and Payment account dealt with by this report is in agreement with the books of accounts.

(vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes of Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure-I to this Separate Audit Report, give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India:

a) In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the National Capital Region Planning Board as at 31 March 2017; and

b) In so far as it relates to Income and Expenditure Account, of the surplus for the year ended on that date.

**For and on behalf of the
Comptroller and Auditor General of India**

(Neelesh Kumar Sah)

**Principal Director of Commercial Audit
& ex-officio Member, Audit Board-I
New Delhi**

**Place: New Delhi
Dated: 15 December 2017**

**Annexure to Separate Audit Report on the Accounts of
National Capital Region Planning Board for the year ended 31 March 2017**

1. Adequacy of Internal Audit System

Internal audit for the year 2016-17 was conducted by a firm of Chartered Accountants.

2. Adequacy of Internal Control System.

Internal control needs to be further strengthened, especially in regard of the following:

- (i) No audit committee has been formed by the NCRPB to exercise oversight of Board's financial reporting process and disclosure of its financial system.
- (ii) There was no approved whistle blower policy for the Board.
- (iii) In the absence of operational, financial and accounting manuals, system of fixing time bound quantifiable and measurable targets, key performance indicators and a Business Plan, the internal control system in NCRPB does not provide reasonable assurance about the achievement of NCRPB's objectives with regard to effectiveness and efficiency of its operations.
- (iv) There was no Risk Assessment Policy in NCRPB. NCRPB released loans on the basis of bank guarantee submitted by the borrower without getting it verified from the issuing bank. Releasing loan before proper confirmation of Bank Guarantees by the issuing bank indicated poor internal control exposing NCRPB to risk of fake Bank Guarantees.

3. System of physical Verification of Fixed Assets.

Physical verification of the fixed assets as on 31 March 2017 was not conducted. In the absence of the Physical verification report, the excess or shortages of the assets was not ascertained.

4. System of Physical verification of inventory

Physical verification of inventory was not carried out for the year 2016-17.

5. Regularity in payment of statutory dues

Instances of belated depositing of TDS were noticed.



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.3.2017 के अनुसार तुलन पत्र

विवरण	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	(राशि ₹ में) पूर्ववर्ती वर्ष
कोष/पूंजी निधि और देयताएँ			
रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड निधि (कोष/पूंजी निधि)	1	40724441448	36063641917
विशेष आरक्षित	2	3790000000	4109100000
निर्धारित/बंदोबस्ती (एंडोमेंट) कोष	3	1400	(9584273)
सुरक्षित ऋण	4	5000000000	5000000000
असुरक्षित ऋण	5	7899382202	6746522967
स्थगित ऋण देयताएं		0	0
चालू देयताएं एवं प्रावधान	6	1256067194	1628270732
योग		58669892244	53537951343
परिसम्पत्तियां			
अचल परिसम्पत्तियां	7	7331821	8241660
भविष्य निधि/एनपीएस का निवेश	8	183865076	172512989
एन.सी.आर.टी.सी. मे योगदान-निवेश	9	50000000	50000000
चालू परिसम्पत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	10	58428695347	53307196694
विविध खर्च (बट्टे खाते न डाली गई या समायोजित न की गई मात्रा तक)		0	0
योग		58669892244	53537951343
महत्वपूर्ण लेखा प्रणाली नीतियां	21		
आकस्मिक देयताएं और लेखों पर टिप्पणियां	22		

ह./-
वित्त एवं लेखा अधिकारी

ह./-
निदेशक (प्रशा. व वित्त)

ह./-
सदस्य सचिव



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
दिनांक 31.3.2017 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा (योजनागत)

(राशि ₹ में)

आय	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
बिक्री/सेवाओं से आय		0	0
अनुदान/इमदाद		तुलना पत्र में अंतरित	तुलना पत्र में अंतरित
शुल्क और अभिदात		0	0
निवेश द्वारा निर्धारित/बंदोबस्ती (एंडोमेंट) निधियों से आय		0	0
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्रकाशनों की बिक्री से आय		2925	2700
अर्जित ब्याज़	11	3865834281	4260938859
अन्य आय	12	611077128	30089982
तैयार माल के रहतिया (स्टॉक) में वृद्धि/कमी और कार्य में प्रगति		(3375)	(1709)
योग (क)		4476910959	4291029832
व्यय			
स्थापना व्यय	13	39783789	36908812
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	14	8509565	5835342
अवसंरचना परियोजना हेतु अनुदान पर व्यय (प्रावधान)		118790000	527988200
बाज़ार ऋण पर व्यय	15	346976843	1245795723
मूल्यहास अनुसूची 7 के अनुरूप		1437034	1585030
योग (ख)		515497231	1818113107
व्यय की तुलना में आय से अधिक शेष (क-ख)		3961413728	2472916725
पूर्व अवधि व्यय	16	2278972	4300240
बांड रिडम्प्शन रिज़र्व (बी.आर.आर.) में अंतरित		1029900000	1674390280
आय और व्यय लेखा (गैर योजनागत) में अंतरित		117435225	14652456
उप-योग		1149614197	1693342976
व्यय की तुलना में आय की निवल अधिकता रा.रा.क्षे.यो.बो.निधि में अंतरित		2811799531	779573749
महत्वपूर्ण लेखा प्रणाली नीतियां	21		
आकस्मिक देयताएं और लेखों पर टिप्पणियां	22		

ह./-
वित्त एवं लेखा अधिकारी

ह./-
निदेशक (प्रशा. व वित्त)

ह./-
सदस्य सचिव



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
दिनांक 31.3.2017 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा (गैर-योजनागत)

(राशि ₹ में)			
आय	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
बिक्री/सेवाओं से आय		0	0
शहरी विकास मंत्रालय से प्राप्त अनुदान		44000000	40000000
शुल्क और अभिदान		0	0
पीएफ और एनपीएस/सेवनिवृत्ति लाभ के निवेश से आय	17	12835163	14692674
रायल्टी, प्रकाशन आदि से आय		0	0
अर्जित ब्याज		0	0
अन्य आय	18	21369	18097
आय और व्यय लेखा (योजनागत) से अंतरित		117435225	14652456
तैयार माल के रहतिया (स्टॉक) में वृद्धि/कमी		0	0
योग (क)		174291757	69363227
व्यय			
स्थापना व्यय	19	163543454	58021380
अन्य प्रशासनिक व्यय, अनुदान आदि	20	10748303	11341847
अनुदानों, इमदादों आदि पर व्यय		0	0
योग (ख)		174291757	69363227
व्यय की तुलना में आय की निवल अधिकता का अंतरण		Nil	Nil
महत्वपूर्ण लेखा प्रणाली नीतियां	21		
आकस्मिक देयताएं और लेखों पर टिप्पणियां	22		

ह./-
वित्त एवं लेखा अधिकारी

ह./-
निदेशक (प्रशा. व वित्त)

ह./-
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष की प्राप्तियाँ एवं भुगतान

(राशि रू.)

प्राप्तियाँ	वर्तमान वर्ष			पूर्ववर्ती वर्ष		
	कुल	योजनागत	गैर योजनागत	कुल	योजनागत	गैर योजनागत
I. आरम्भिक शेष						
क) हाथ में रोकड़	31172	31172	0	37147	37147	0
ख) बचत खातों में शेष	4766019440	4766019440	0	1619605232	1619605232	0
ग) भविष्य निधि बचत खाते में शेष	4348443	4348443	0	1506968	1506968	0
घ) (एनपीएस) बचत खाते में शेष	798	798	0	767	767	0
उप योग	4770399853	4770399853	0	1621150114	1621150114	0
II) प्राप्त अनुदान						
क) शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार से	544000000	500000000	44000000	840000000	800000000	40000000
ख) शहरी विकास मंत्रालय से, आर.आर.टी.एस. अध्ययन के लिए	24226500	24226500	0	0	0	0
III) निवेश पर आय (पीएफ/एनपीएस व सेवानिवृत्ति लाभ निधि)						
क) बचत खाते पर ब्याज	594837	0	594837	122634	0	122634
ख) भविष्य निधि जमा पर ब्याज	1944921	0	1944921	2371894	0	2371894
IV) प्राप्त ब्याज						
क. राज्य सरकारों/एजेंसियों को दिए ऋण पर ब्याज	1333795847	1333795847	0	1701954330	1701954330	0
ख. बचत बैंक	80290920	80290920	0	24131692	24131692	0
ग. बैंक जमाओं पर	2447634470	2447634470	0	2538779048	2538779048	0
V अन्य आय						
क. रा.रा.क्ष. प्रकाशनों की बिक्री	2925	2925	0	2700	2700	0
ख. विविध प्राप्तियाँ	0	0	0	3305892	2975174	330718
ग. सूचनाधिकार (आर.टी.आई.) शुल्क	4816	0	4816	3295	0	3295
घ. परिसंपतियों की बिक्री/निपटान	6000	6000	0	48777	48777	0
ङ. भर्ती के लिए आवेदन शुल्क	2900	0	2900	1100	0	1100
च. आयकर वापसी	0	0	0	0	0	0
छ. आयकर वापसी पर ब्याज	0	0	0	0	0	0
ज. स्टाफ को दिए गए ऋण पर ब्याज	208895	0	208895	203885	0	203885
झ. संपत्ति की बिक्री पर लाभ	0	0	0	0	0	0
ण. पुराने समाचार पत्र की बिक्री	3100	0	3100	0	0	0
VI) उधार ली गई धनराशि						
क) एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.) से ऋण	0	0	0	0	0	0
ख) के.एफ.डब्ल्यू (जर्मन द्विपक्षीय) से ऋण	2861555260	2861555260	0	23100000	23100000	0
VII) अन्य प्राप्तियाँ						
क) राज्य सरकारों द्वारा ऋण की वापसी	4746951039	4746951039	0	5902908253	5902908253	0
ख) ऋण पर अधिक वापसी	140358	140358	0	0	0	0
ग) भुनाई गई सावधि जमा	102139100000	102139100000	0	49187909720	49187909720	0
घ) भविष्य निधि/एन.पी.एस. निवेशों की परिपक्वता	151730652	0	151730652	110862649	0	110862649
ङ) बयाना राशि/ जमानत राशि	0	0	0	40000	0	40000
च) स्टाफ से अग्रिम की वसूली	1745078	25724	1719354	1355496	0	1355496
छ) प्रतिनियुक्त कर्मचारियों से वसूली	979525	0	979525	648092	0	648092
ज) जी.आई.एस. धनराशि की वसूली/एलआईसी से प्राप्तियाँ	44109	0	44109	142732	0	142732
झ) जी.पी.एफ. अंशदान/अग्रिम/वापसी	4856500	0	4856500	4107380	0	4107380
ण) एन.पी.एस. वसूली	697172	0	697172	534367	0	534367
ट) रा.रा.क्ष.यो. बोर्ड द्वारा स्रोत पर कर कटौती	5766350	281894	5504656	5702253	3528481	2173772
ठ) संगोष्ठी (सेमिनार) और प्रशिक्षण अग्रिम/शुल्क की वापसी	115249	115249	0	193243	0	193243
ड) स्टाफ कार के प्रयोग से सम्बंधित वसूली	9943	9943	0	7700	0	7700
ढ) अवकाश वेतन एवं सेवानिवृत्ति योगदान	62466	0	62466	0	0	0
योग	119116869685	118904515782	212353903	61969587246	61806488289	163098957

ह/-
वित्त एवं लेखा अधिकारी

ह/-
निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)

ह/-
सदस्य सचिव



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष की प्राप्ति एवं भुगतान

(रुपि र में)

भुगतान	चालू वर्ष			पूर्ववर्ती वर्ष		
	योग	योजना	गैर-योजना	योग	योजना	गैर-योजना
I. व्यय						
क) स्थापना व्यय (अनुसूची 13 और 19 के अनुरूप)	84561329	32481577	52079752	58023745	5019801	53003944
ख) प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 14 और 20 के अनुरूप)	19644724	8917950	10726774	68986133	53269428	15716705
ग) बाजार उधारी पर व्यय (अनुसूची 15 के अनुरूप)	653171740	653171740	0	936866896	936866896	0
II. राज्य सरकारों/अभिकरणों (एजेंसियों) को प्रदान किया गया ऋण	16544808000	16544808000	0	1651491000	1651491000	0
III. किए गए निवेश और जमा						
क) एन.सी.आर.टी.सी. में समता पूंजी (इन्विटी) योगदान	0	0	0	0	0	0
ख) सावधि जमा (एफ.डी.आर.) में निवेशित राशि	90630000000	90630000000	0	45070000000	45070000000	0
ग) भविष्य निधि/एनपीएस/सेवानिवृत्त लाभ	155600000	155600000	0	152900000	0	152900000
घ) अन्य - बीआरआर	3790000000	3790000000	0	6421300000	6421300000	0
IV. अचल परिसंपत्तियों पर व्यय						
क) अचल परिसंपत्तियों की खरीद	527405	527405	0	1729640	1729640	0
V. राज्य सरकार को अतिरिक्त धनराशि/ऋणों की वापसी	0	0	0	0	0	0
VI. ऋणों और अधिमों का भुगतान						
क) स्टाफ को विविध अधिम	1597529	0	1597529	1382699	0	1382699
ख) जी.पी.एफ. से अधिम/आहरण	6661034	0	6661034	0	0	0
ग) प्रशिक्षण एवं सम्मेलन अधिम	192649	192649	0	95400	95400	0
घ) किसी अन्य को अधिम	4988348	0	4988348	380666	0	380666
VII. अन्य भुगतान						
क) रा.रा.क्षे.यो. बोर्ड के बांडों का विमोचन	1349000000	1349000000	0	2651000000	2651000000	0
ख) मूलधन की वापसी (ए.डी.बी. ऋण)	71857480	71857480	0	33755026	33755026	0
ग) अतिरिक्त प्राप्तियों की वापसी	0	0	0	2970000	2970000	0
घ) बयाना/सुरक्षा जमा	0	0	0	40000	0	40000
ङ) उधारकर्ता अभिकरणों (एजेंसियों)/बैंकों द्वारा स्रोत पर कर कटौती	75843081	75843081	0	122761653	122761653	0
च) सामूहिक बीमा योजना राशि का भुगतान	59981	0	59981	131360	0	131360
छ) रा.रा.क्षे.यो. बोर्ड द्वारा जमा कराया गया टीडीएस	4320019	261694	4058325	5901921	3599329	2302592
ज) प्रतिनियुक्त कर्मचारियों से वसूली	1049419	0	1049419	685080	0	685080
झ) नई पेंशन योजना के लिए भुगतान	670168	0	670168	534367	0	534367
ञ) आर.आर.टी.एस. अध्ययन के लिए भुगतान	14640827	14640827	0	17928403	17928403	0
ट) बचत एवं सावधि जमा पर अतिरिक्त ब्याज की वापसी	0	0	0	323404	323404	0
VIII. इति शेष						
क) हाथ में रोकड़ (अग्रदाय सहित)	13303	13303	0	31172	31172	0
ख) बचत खाते में बैंक शेष	5706126076	5706126076	0	4766019440	4766019440	0
ग) पी.एफ. बचत खाते में बैंक शेष	1535736	1535736	0	4348443	4348443	0
घ) एन.पी.एस. बचत खाते में बैंक शेष	838	838	0	798	798	0
योग	119116869685	119034978355	81891330	61969687246	61742509833	227077413

हा/-
वित्त एवं लेखा अधिकारी

हा/-
निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)

हा/-
सदस्य सचिव



अनुसूची-1

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.03.2017 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड निधि (कोष/पूँजी निधि)	(राशि ₹ में)	
	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
वर्ष के शुरू में शेष	36063641917	31833068168
जोड़ें: शहरी विकास मंत्रालय से अंशदान	500000000	800000000
जोड़ें: व्यय (योजना) पर निवल आय से अंतरण	2811799531	779573749
जोड़ें: बी.आर.आर. से अंतरित	1349000000	2651000000
वर्ष समाप्ति पर शेष	40724441448	36063641917

अनुसूची-2

विशेष आरक्षित	(राशि ₹ में)	
	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
1. बांड विमोचन (रिडम्सन) रिजर्व		
पिछले लेखों के अनुसार	4109100000	5085709720
वर्ष के दौरान जमा	1029900000	1674390280
घटाएँ: रा.रा.क्षे.यो. बोर्ड निधि फंड में कर योग्य बांड के विमोचन के	(1349000000)	(2651000000)
पश्चात अंतरित		
वर्ष समाप्ति पर शेष	3790000000	4109100000

ह/-
वित्त एवं लेखा अधिकारी

ह/-
निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)

ह/-
सदस्य सचिव



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.03.2017 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि ₹ में)

निर्धारित/बंदोबस्ती (एंडोमेंट) निधि	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
(क) क्षेत्रीय त्वरित टंजिट प्रणाली (आर.आर.टी.एस.) गलियारों के लिए डी.पी.आर. तैयार करने हेतु अध्ययन के लिए शहरी विकास मंत्रालय से अनुदान वर्ष के प्रारम्भ में शेष	(9584273)	8344130
जोड़े: वर्ष के दौरान शहरी विकास मंत्रालय से प्राप्त अनुदान	24226500	0
जोड़े: हरियाणा सरकार से प्राप्त अनुदान	0	0
उप-योग	14642227	8344130
(ख) आरआरटीएस/अध्ययन हेतु किया गये व्यय - परामर्शदाता को आर.आर.टी.एस. अध्ययन हेतु दिया गया शुल्क	14640827	17928403
वर्ष समाप्ति पर निवल शेष (क- ख)	1400	-9584273

अनुसूची - 4

31.03.2017 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि ₹ में)

सुरक्षित ऋण तथा उधार	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
निजी स्थापित बांड		
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड कर योग्य बांड (2020) सिरिज-I	5000000000	5000000000
योग	5000000000	5000000000


अनुसूची-5

31.03.2017 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि ₹ में)

असुरक्षित ऋण तथा उधार	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
निजी स्थापित बांड		
क) रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड कर योग्य बांड (2019) सिरिज II	0	1349000000
ख) एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.) से ऋण	3788790810	3947027103
ग) के.एफ.डब्लू (जर्मन दविपक्षीय एजेंसी) से ऋण	4110591392	1450495864
योग	7899382202	6746522967

ह/-
वित्त एवं लेखा अधिकारीह/-
निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)ह/-
सदस्य सचिव



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.03.2017 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसर्चियां

अनुसर्ची 6

(राशि ₹ में)

	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
चाल देयताएं और प्रावधान		
सांविधिक देयताएं :		
1. सामान्य भविष्य निधि	31808088	30819951
3. जी.आई.एस. निधि	2055	15872
4. प्रतिनियुक्त कर्मचारियों से वसूलियां	76372	64526
5. ठेकेदारों/व्यवसायियों/स्टाफ से श्रोत पर कर (टी.डी.एस.) की कटौतें	24726800	271314
6. अति देय	202500	202500
7. एनपीएस/सी.पी.एफ. / बोर्ड का अंशदान	94140	0
उप-योग	56909955	31374163
उधार पर उपार्जित ब्याज परंतु देय नहीं:		
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड कर योग्य बांड (2019) सीरीज II	0	18927394
2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड कर योग्य बांड (2020) सीरीज I	288936986	288936986
3. एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.) से ऋण पर ब्याज जमा	7717767	3713979
4. के.एफ.डब्ल्यू (जर्मन बैंक) से ऋण पर ब्याज जमा	18543077	6671339
उप-योग	315197830	318249698
अन्य चालू देयताएँ		
1. देय खर्चे	5734886	5108042
2. बयाना	496965	496965
3. राज्य सरकारों/अभिकरणों (एजेंसियों) से ऋणों पर अधिक प्राप्तियां	682960	542602
उप-योग	6914811	6147609
प्रावधान		
1. कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों के लिए		
क) ग्रेच्युटी	27143602	14408862
ख) पेंशन (वर्तमान)	5009183	4162693
ग) पेंशन (सेवा निवृत्त)	230137728	137903955
घ) संचित छुट्टी नकदीकरण	23388363	14954838
उप-योग	285678876	171430348
2. रा.रा.क्षे. सेल हेतु देय व्यय		
क) एनसीआर सेल दिल्ली हेतु प्रावधान	0	5166269
ख) एनसीआर सेल हरियाणा, राजस्थान, उ.प्र. हेतु प्रावधान	31503570	29874625
उप-योग	31503570	35040894
अन्य प्रावधान		
क) एडीबी/केएफडब्ल्यू ऋणों पर वचनबद्धता प्रभार	2829926	3786909
ख) केएफडब्ल्यू ऋणों पर गारंटी शुल्क	19656476	37062426
ग) पीएमसी सेवाएं-एडीबी	0	1446935
घ) अवसंरचना परियोजना हेतु अनुदान	537375750	1023731750
उप-योग	559862152	1066028020
कुल योग	1256067194	1628270732

ह/-
वित्त एवं लेखा अधिकारी

ह/-
निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)

ह/-
सदस्य सचिव



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

31.03.2017 की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्तियों का विवरण

अनुसूची-7
(पृष्ठ ६ में)

विवरण	सकल व्यय				मूल्य ह्रास				निचल व्यय			
	दिनांक 01.04.2016 को प्रतिष्ठित मूल्य	180 दिन के पहले संवर्धन	180 दिन के बाद संवर्धन	वर्ष के दौरान कुल संवर्धन	वर्ष के दौरान विक्रय/हस्तांतरण	वर्ष की समाप्ति पर लागत/मूल्यह्रास	दर (%)	वर्ष के शुरू के अनुसार	वर्ष के दौरान संवर्धन	वर्ष की समाप्ति पर कुल व्यय	दिनांक 31.03.2017 को प्रतिष्ठित मूल्य	दिनांक 31.03.2016 को प्रतिष्ठित मूल्य
कालांतर स्थान आरंभधी	4596724.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4596724.35	0.10	459672.44	0.00	459672.44	4137051.91	4596724.35
वाहन	1374907.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1374907.44	0.15	206236.13	0.00	206236.13	1168671.31	1374907.44
फर्नीचर/फिक्स्चर	608062.41	35938.00	10590.00	46528.00	0.00	654590.41	0.10	60806.27	4123.30	64929.57	589660.84	608062.41
कालांतर उपकरण	856228.82	5980.00	269916.00	275896.00	6000.00	1126124.82	0.15	128434.35	21140.70	149575.05	976549.77	856228.82
कम्प्यूटर/पैरीफरल	795811.92	26889.00	169838.00	196727.00	0.00	992538.92	0.60	477487.15	67084.80	544571.95	447966.97	795811.92
प्रस्ताकालय की प्रस्तक	9222.68	4330.00	8210.00	12540.00	0.00	21762.68	0.60	5533.61	5061.00	10594.61	11168.07	9222.68
वार्षिक प्रकारान/संदर्भ प्रस्तक	702.00	0.00	1504.00	1504.00	0.00	2206.00	1.00	702.00	752.00	1454.00	752.00	702.00
	8241659.62	73137.00	460058.00	533195.00	6000.00	8768854.62		1338871.95	98161.80	1437033.75	7331820.87	8241659.62
पूर्ववर्ती वर्ष	7930977.67	1052678.00	896691.00	1949369.00	53657.14	9826889.53		1093150.61	491879.30	1585029.91	8241659.62	7930977.67

श्री-
वित्त एवं लेखा अधिकारी

श्री-
निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)

श्री-
सदस्य सचिव



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.3.2017 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि ₹ में)

	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
निवेश -अन्य		
(क) भविष्य निधि निवेश		
1. सरकारी प्रतिभूतियां	3411385	3411385
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां (बैंक में एफडीआर)	26924322	22400000
3. डिबैंचर्स और बांड	0	1000000
4. अन्य		
भविष्य निधि निवेश पर जमा ब्याज	539991	521711
सेविंग बैंक में जमा राशि	1535736	4348443
उप-योग	32411434	31681539
(ख) नई पेंशन स्कीम		
सेविंग बैंक में जमा राशि	838	798
उप-योग	838	798
(ग) सेवानिवृत्ति लाभ निधि		
बैंक में सावधि जमा	142000000	130500000
सेवानिवृत्ति लाभ निवेश पर जमा	9452804	10330652
उप-योग	151452804	140830652
सकल योग	183865076	172512989

31.3.2017 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि ₹ में)

निवेश - योगदान	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
निवेश-एनसीआर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन में योगदान	50000000	50000000
उप-योग	50000000	50000000

ह./-
वित्त एवं लेखा अधिकारी

ह./-
निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)

ह./-
सदस्य सचिव



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.3.2017 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि ₹ में)

	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि		
क. वर्तमान परिसंपत्तियां:		
1. रा.रा.क्षे. पुस्तकों और प्रकाशन का स्टॉक	263042	266417
2. लेखन सामग्री का स्टॉक	198993	146598
3. विविध देनदार:		
क) 6 माह से अधिक अवधि के बकाया ऋण	98361	98361
उप-योग	560396	511376
4. हाथ में नकद शेष	13303	31172
5. बैंक बैलेंस		
अनुसूचित बैंकों के पास:		
- बचत खाते पर	5706126076	4766019440
- बी.आर.आर. की एफ.डी.आर.	3790000000	4109100000
- एफडीआर - अन्य	17850000000	25250000000
उप-योग	27346126076	34125119440
कुल (क)	27346699775	34125661988
ख. ऋण, अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियां		
1. ऋण:		
क) स्टाफ को अग्रिम	11810	68144
ख) अन्य अग्रिम		
i) यात्रा अग्रिम	70549	87000
ii) एलटीसी अग्रिम	19000	0
iii) पेट्रोल अग्रिम	0	1500
iv) विविध अग्रिम	48216	8502
उप-योग	137765	97002
ग) राज्य सरकार/कार्यान्वयन एजेंसियों	28925864907	17128007946
2. वसूली योग्य अग्रिम और अन्य राशि		
क) पूर्वदत्त व्यय	638838	556168
ख) वसूली योग्य अग्रिम आयकर, एफ.बी.टी. और स्रोत पर कर (टीडीएस)	673654717	536199722
(कर का निवल प्रावधान)		
ग) सेमिनार/बैठक अग्रिम	177600	85200
घ) अन्य (एमटीएनएल और जीएमटी के पास जमानत)	26648	26648
ङ) प्राप्त होने वाला आरटीआई शुल्क	140	230
उप-योग	674497943	536867968
3. अर्जित आय		
क) सावधि जमा पर अर्जित किन्तु अप्राप्य ब्याज.	618407671	890201779
ख) ऋण पर अर्जित ब्याज	856315839	612873788
ग) स्टाफ ऋण पर अर्जित ब्याज	584664	811198
घ) बचत खाते पर अर्जित ब्याज	6174973	12606881
उप-योग	1481483147	1516493646
कुल (ख)	31081995572	19181534706
कुल (क+ख)	58428695347	53307196694

ह./-
वित्त एवं लेखा अधिकारी

ह./-
निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)

ह./-
सदस्य सचिव



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.3.2017 का समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय (योजना) के भाग के रूप में अनुसूची

		(राशि ₹ में)	
अर्जित ब्याज		वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
1	सावधि जमा पर:		
क)	अनुसूचित बैंकों के पास	2205488995	2660677282
ख)	गैर अनुसूचित बैंकों के पास	0	0
ग)	संस्थानों के पास	0	0
घ)	अन्य	0	0
2	बचत खातों पर:		
क)	अनुसूचित बैंकों के पास	75318476	29096522
ख)	गैर अनुसूचित बैंकों के पास	0	0
ग)	डाकघर बचत खाते	0	0
घ)	अन्य	0	0
3	ऋणों पर:		
क)	राज्य सरकार/उनके अभिकरणों (एजेंसियों) द्वारा प्राप्त ऋण पर ब्याज	1584539867	1571110669
ख)	कर्मचारियों/स्टाफ को दीर्घ अवधि ऋणों पर ब्याज	1816	4386
ग)	राज्य सरकार/उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों को ऋण पर दंडस्वरूप ब्याज	485327	50000
कुल		3865834281	4260938859

		(राशि ₹ में)	
अन्य आय		वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क)	अन्य आय	15000	80437
ख)	अत्यधिक प्रावधानों को वापस लिखा गया	5916128	1667095
ग)	अवसंरचना परियोजना अनुदान का प्रावधान वापस लिखा गया	605146000	28342450
कुल		611077128	30089982

ह./-
वित्त एवं लेखा अधिकारी

ह./-
निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)

ह./-
सदस्य सचिव



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.3.2017 का समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय (योजना) के भाग के रूप में अनुसूची

स्थापना व्यय (योजना)	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क) वेतन और मजूदरी (आंतरिक जमा से भुगतान)	8280219	7034187
अन्य		
ख) एनसीआर क्षेत्र प्रकोष्ठों पर व्यय	31503570	29874625
कुल	39783789	36908812

अनुसूची-14
(राशि ₹ में)

अन्य प्रशासनिक व्यय	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क) एनसीआर पुस्तकें और प्रकाशन की लागत	0	0
ख) अध्ययन और सर्वेक्षण	3928442	4259961
ग) विज्ञापन और प्रचार	240016	287083
घ) बोर्ड/अन्य बैठकों पर हुआ व्यय	949964	373858
ङ) अंकेक्षण शुल्क - एडीबी/केएफडब्ल्यू परियोजनाओं पर	199275	700897
च) संगोष्ठी और प्रशिक्षण	0	97613
छ) प्रोफेशनल शुल्क	2768974	0
ज) टीडीएस पर ब्याज	0	115930
झ) यात्रा प्रभार (योजना)	422894	0
कुल	8509565	5835342

अनुसूची-15
(राशि ₹ में)

बाजार उधारी पर हुआ व्यय	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क) बांड पर ब्याज	478591655	765747939
ख) लिस्टिंग शुल्क	68700	101124
ग) रजिस्ट्रार और स्थानांतरण एजेंट प्रभार	22815	53810
घ) ट्रस्टीशिप फीस	25000	50313
ङ) पीएमसी सेवाओं - एडीबी पर व्यय (प्रावधानों समेत)	6012350	11000964
च) रेटिंग एजेंसियों की निगरानी फीस	1188539	1924060
छ) एनएसडीएल/सीडीएसएल को वार्षिक कस्टोडियल फीस	171750	171750
ज) एडीबी/केएफडब्ल्यू ऋणों पर ब्याज	87504625	46490992
झ) एडीबी/केएफडब्ल्यू ऋणों पर प्रतिबद्धता शुल्क	13436374	11975920
ञ) एडीबी/केएफडब्ल्यू ऋणों पर विनिमय दरों में अंतर	(287838546)	371051731
ट) एनएसडीएल/सीएसडीएल प्रभार	2063	2290
ठ) भुगतान पर बैंक प्रभार	31830	22180
ड) एडीबी/केएफडब्ल्यू ऋणों पर ब्याज गारंटी शुल्क (प्रावधान का निवन्ध)	47759688	37202650
कुल	346976843	1245795723

ह./-
वित्त एवं लेखा अधिकारी

ह./-
निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)

ह./-
सदस्य सचिव



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

31.3.2017 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय (योजना) के भाग के रूप में अनुसूची

(राशि ₹ में)

पूर्ववर्ती व्यय	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क) एनसीआर सेल पर व्यय	2192096	4300240
ख) प्रोफेशनल शुल्क	86876	0
कुल	2278972	4300240

अनुसूची - 17

31.3.2017 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय (गैर-योजना) के भाग के रूप में अनुसूची

(राशि ₹ में)

भविष्य निधि/एनपीएस निधि/सेवानिवृत्ति लाभ के निवेश पर आय	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क) भविष्य निधि निवेश पर ब्याज	2168141	2082209
ख) सेवानिवृत्ति निधि निवेश पर ब्याज	10573260	12373065
ग) भविष्य निधि बचत खातों पर ब्याज	93730	237369
घ) एनपीएस बचत खातों पर ब्याज	32	31
कुल	12835163	14692674

अनुसूची-18

31.3.2017 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय (गैर-योजना) के भाग के रूप में अनुसूची

(राशि ₹ में)

अन्य आय	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
1. भर्ती हेतु आवेदन शुल्क	2900	1100
2. स्टाफ कार के उपयोग हेतु वसूली	10643	8400
3. आरटीआई शुल्क	4726	3525
4. अन्य	3100	5072
कुल	21369	18097

ह./-
वित्त एवं लेखा अधिकारीह./-
निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)ह./-
सदस्य सचिव



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.3.2017 का समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय (गैर योजना)
के भाग के रूप में अनुसूची

अनुसूची-19

(राशि ₹ में)

	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
स्थापना व्यय		
वेतन (मूल + ग्रेड पे)	21336293	11451858
भत्ते एवं बोनस	17339880	21102051
एनपीएस में योगदान	764308	586200
अन्य		
छुट्टी वेतन व अंशदान	1048626	330787
भविष्य निधि खाते पर ब्याज	2372471	2452975
भर्ती व्यय	185739	279974
संपदा निदेशालय को भगतान किया गया लाईसेंस शुल्क	434036	1486629
समाचार पत्र और आवधिक पत्रिकाएं	85464	86790
वर्दी	0	42804
प्रावधान		
गेच्युटी का प्रावधान	13067763	2599420
छुट्टी नकदीकरण का प्रावधान	8766858	1794169
पेंशन (वर्तमान) का प्रावधान	5647597	5551589
पेंशन (गैर वर्तमान) का प्रावधान	92494419	10256134
कुल योग	163543454	58021380

अनुसूची-20

(राशि ₹ में)

प्रशासनिक व्यय	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
विद्युत और जल प्रभार	230721	299759
हाउस कीपिंग	2773558	2375331
मरम्मत और रखरखाव	1108433	711124
किराया, दर और कर	1725882	1830072
वाहनों का चालन एवं रख रखाव	392323	370591
डाक, टेलीफोन और संचार प्रभार	840759	668894
छपाई, मुद्रण एवं लेखन सामग्री	546961	438584
यात्रा एवं वाहन व्यय	1066772	993219
संगोष्ठी/ कार्यशाला/बैठक पर व्यय	115062	109000
विधिक शुल्क व्यय	293750	908848
लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक	231016	98160
आतिथ्य खर्च	227818	190210
प्रोफेशनल शुल्क	1118120	2226451
अन्य	77128	121604
कुल	10748303	11341847

ह./-
वित्त एवं लेखा अधिकारी

ह./-
निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)

ह./-
सदस्य सचिव



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में संलग्न लेखों पर टिप्पणियां और महत्वपूर्ण लेखा प्रणाली व नीतियाँ :-

1. लेखा संविद :

क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के वार्षिक लेखे ऐतिहासिक लागत रूढ़ी और प्रोद्भवन लेखा प्रणाली के आधार पर तैयार किए जाते हैं, जब तक नीचे वर्णित लेखा प्रणाली नीतियों में अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।

लेखों का प्रारूप और नजदीकी मूल्य तक आंकड़ों को पूर्णांकित करना:

ख) वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए बोर्ड के लेखे प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा द्वारा जारी अनुदेश के अनुसार निर्धारित प्रारूप में तैयार किए गए हैं। वार्षिक लेखों में दर्शाए गए आंकड़ों को नजदीकी मूल्य तक पूर्णांकित किया गया है। प्रत्येक योजनागत तथा गैर-योजनागत लेन-देन के लिए अलग प्राप्त तथा भुगतान लेखा एवं आय एवं व्यय का विवरण तैयार किया गया है।

2. आय निर्धारण:

सभी मदों की आय का निर्धारण प्रोद्भवन लेखा प्रणाली के आधार पर किया गया है।

3. व्यय की मान्यता:

क) स्टाफ को एल.टी.सी., मेडिकल क्लेम तथा ट्यूशन फीस प्रतिपूर्ति के भुगतान, जो कि नकद आधार पर लिए जाते हैं, को छोड़कर सभी व्ययों को प्रोद्भवन लेखा प्रणाली के आधार पर लिया गया है।

ख) सभी पूर्व अवधि व्यय तथा पूर्ववत् व्यय जिनको इस वर्ष के खर्चों में मिला दिया था उन्हें भी अलग कर पृथक शीर्ष (मद) के अंतर्गत दिखाया गया है।

4. अचल परिसम्पत्ति:

क) अचल परिसम्पत्तियां मूल्यहास प्रभार घटाने के पश्चात हासित मूल्य पर बताई गई है।

ख) वर्ष के दौरान किसी भी परिसंपत्ति का पुर्नमूल्यांकन नहीं किया गया है।

5. अचल परिसंपत्तियां मूल्यहास आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत निर्धारित दर के अनुसार हासित मूल्य पद्धति से प्रभारित किया गया है। मूल्यहास आय-व्यय लेखा (योजना) में प्रभारित किया गया है। सभी अचल सम्पत्तियों को वित्त वर्ष 2016-17 में आयकर नियमों के अनुसार पुनः समूहित किया गया है तथा मूल्यहास के दर अनुसूची 7 में दर्शायी गई है।

6. **सेवा-निवृत्ति लाभ:**

क) बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, बीमांकिक आधार पर एनसीआरपीबी कर्मचारियों के संबंध में सेवानिवृत्ति लाभ अर्थात् अर्जित अवकाश नकदीकरण, ग्रेच्युटी और पेंशन के लिए आवश्यक प्रावधान 31.03.2017 को समाप्त वर्ष के आय और व्यय लेखों तथा तुलन पत्र में किए गए हैं। वार्षिक प्रावधान, बोर्ड के आंतरिक प्रोदभवन से तैयार किए जाते हैं तदनुसार प्रति वर्ष अपेक्षित निवल राशि आय-व्यय लेखा (योजना) से आय-व्यय (गैर-योजना) में अंतरित की जाती है। सेवानिवृत्ति लाभों के अंतर्गत पेंशन के प्रावधान को पेंशन (वर्तमान) और पेंशन (गैर-वर्तमान) में 12 माह में देय तथा 12 माह के उपरांत देय के लिए विभाजित किया गया है। यह कम्पनी अधिनियम, 2013 की संशोधित अनुसूची-VI के अनुसरण में है।

ख) बोर्ड सामान्य भविष्य निधि लेखे का रखरखाव कर रहा है जिसे पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त है। संगत वर्ष में सामान्य भविष्य निधि संबंधी ब्याज की देनदारियां राजस्व से प्रभारित की गई हैं और बोर्ड के भविष्य निधि खाते में अंतरित की गई हैं।

ग) **नई पेंशन योजना निधि:**

सरकार ने 01.01.2004 से केन्द्र सरकार की सेवा में नई भर्ती वालों के लिए एक नई पेंशन योजना (एनपीएस) शुरू की है। इसके तहत कर्मचारी द्वारा वेतन और मंहगाई भत्ते का 10% मासिक अंशदान करना होता है और इतना ही केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। तदनुसार नई पेंशन योजना निधि का सृजन राष्ट्रीयकृत बैंक में मासिक अंशदान को रखते हुए उन कर्मचारियों के संबंध में किया गया है जिनकी नियुक्ति बोर्ड में 01.01.2004 से हुई है। व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, ने अपने दिनांक 17.08.2009 का.ज्ञा. द्वारा अनुदेश जारी किए गए थे कि एनपीएस की परिधि में आने वाले सभी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप में नेशनल स्क्रियूरिटी डिपॉज़िटरी लिमिटेड, सेन्ट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेंसी, मुम्बई में पंजीकृत किया जाए। इसके अनुपालन में, सितम्बर 2009 में नेशनल स्क्रियूरिटी डिपॉज़िटरी लिमिटेड में आवश्यक पंजीकरण कराया गया है। नेशनल स्क्रियूरिटी डिपॉज़िटरी लिमिटेड द्वारा जारी अनुदेश के अनुसार, एनपीएस की परिधि में आए बोर्ड के कर्मचारियों के संबंध में वर्ष 2009-10 के दौरान एनपीएस निधियां नेशनल स्क्रियूरिटी डिपॉज़िटरी लिमिटेड को अंतरित की गई हैं।

बोर्ड कर्मचारियों से वसूले गए मासिक अंशदान और बोर्ड द्वारा इसके बराबर की राशि को नेशनल स्कियूरिटी डिपॉज़िटरी लिमिटेड, सेन्ट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेंसी, मुम्बई को भेज रहा है। बोर्ड के कर्मचारियों के संबंध में एनपीएस निधि का रख-रखाव अब नेशनल स्कियूरिटी डिपॉज़िटरी लिमिटेड, सेन्ट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेंसी, मुम्बई द्वारा किया जा रहा है।

घ) सामूहिक बीमा देनदारियां

बोर्ड ने वर्ष 2005-06 के दौरान एलआईसी से सामूहिक बीमा योजना नामक एक पॉलिसी ली है तथा ऐसे किसी दायित्व को पूरा करने के उद्देश्य से एलआईसी को 6,91,873/- अंतरित किए हैं। बोर्ड कर्मचारियों के वेतन से आवश्यक कटौतियां कर रहा है और उसे प्रतिमाह एलआईसी को भेज रहा है। कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और त्यागपत्र के समय उनका दावा एलआईसी को ब्याज बचत लाभों तथा बीमा कवर, जहां भी लागू हो, के लिए भेजा जाता है।

7. इन्वेंटरी (रहतिया)

क) एनसीआर पुस्तकें और प्रकाशन

बेची गई और मानार्थ प्रति के रूप में निःशुल्क वितरित की गई एनसीआर पुस्तकों और प्रकाशनों की लागत आय और व्यय लेखा (योजना) खर्च में लिखी जाती है और बेची गई पुस्तकों से प्राप्त राशि को एनसीआर पुस्तकों और प्रकाशनों से आय के रूप में दर्शाया जाता है। वित्त वर्ष की समाप्ति पर अनबिकी पुस्तकों के स्टॉक का लागत-मूल्य के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है और तुलना पत्र में दर्शाया जाता है।

ख) वित्त वर्ष की समाप्ति पर शेष स्टेशनरी का मूल्यांकन तुलना-पत्र में दर्शाया जाता है।

8. अध्ययन और सर्वेक्षण

अध्ययन और सर्वेक्षणों पर होने वाले सभी व्यय (निर्धारित निधि से किए गए अध्ययन व्ययों को छोड़कर) आय-व्यय लेखा (योजना) से प्रभारित किए जाते हैं।

9. निर्धारित/एंडामेंट निधि

शहरी विकास मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांकित 09.03.2010 द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है कि आरआरटीएस के तीन कोरीडोर के डीपीआर बनाने हेतु अध्ययन का वित्त पोषण मंत्रालय की अर्बन ट्रांसपोर्ट प्लानिंग योजना की निधि से किया जाएगा। शहरी विकास मंत्रालय से आरआरटीएस की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने के लिए अनुदान के रूप में प्राप्त निधि को निर्धारित निधि के अंतर्गत दिखाया गया है।

10. एनसीआर योजना और निगरानी प्रकोष्ठ

बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, एनसीआर प्रकोष्ठ पर व्ययों की प्रतिपूर्ति संबंधित एनसीआर प्रकोष्ठ/राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत दावों के सत्यापन के पश्चात एनसीआरपीबी द्वारा संबंधित राज्य सरकार को की जाती है। ये दावे वित्तीय वर्ष की समाप्ति और वित्तीय वर्ष के लेखों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद बोर्ड को प्रस्तुत किए जाते हैं, तथा अगर ये दावे वित्त वर्ष के समाप्ति के बाद प्राप्त किए जाते हैं तो इसके लिए एनसीआर प्रकोष्ठों से प्राप्त विगत दावों के आधार पर अपेक्षित प्रावधान किया गया है।

11. आयकर:

उपयुक्त आयकर प्राधिकरण अर्थात् वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, आयकर महानिदेशक (छूट) नई दिल्ली के आदेश सख्या डीजीआईटीई(ई) 10(23सी)(iv)/2008 दिनांक 02.5.2008 के द्वारा एनसीआरपीबी आयकर अधिनियम 1961, (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (23सी)(iv) के उप खण्ड(IV) के अंतर्गत आयकर देने से छूट प्राप्त है। इसे देखते हुए बोर्ड के वार्षिक लेखों में आयकर देने का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है।

12. बॉन्ड रिडम्पशन रिजर्व (बीआरआर) का सृजन

बोर्ड ने फरवरी 2008 में 7 वर्ष की अवधि (पुट/काल आप्शन) के लिए 200 करोड़ के कर योग्य बांड्स प्राइवेट प्लेसमेंट आधार पर पूंजी बाजार से जुटाए। सांविधानिक आवश्यकता के अनुसार इन्हें जुटाने से पूर्व बांडों का वित्तीय मूल्यांकन सीआरआईएसआईएल तथा इंडिया रेटिंग (पूर्व में फिच रेटिंग) एजेन्सी से कराया गया। रेटिंग एजेंसी ने निर्धारित किया है कि बोर्ड को बांड रिडम्पशन रिजर्व (बीआरआर) को हर साल समान मात्रा में जमा कर इस तरीके से बनाए रखना चाहिए कि इस बॉन्ड ईशू के लिए रिडम्पशन रिजर्व खातों में शेष राशि बांडों की परिपक्वता की तिथि पर मोचन राशि के बराबर होती है। इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने वर्ष 2008-09 से 2010-11 तक ₹900 करोड़ की अतिरिक्त राशि तीन अन्य बॉन्ड ईशू के जरिए जुटाई है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि बोर्ड बॉन्ड संबंधी अपनी देमदारियों को पूरा कर सके, वर्ष 2008-09 में बोर्ड ने 7 वर्ष के (पुट/काल आप्शन) अवधि को ध्यान में रखते हुए बॉन्ड रिडम्पशन रिजर्व सृजित किया और आंतरिक प्रोद्भूत राशि से इस बीआरआर में राशि अंतरित की जा रही है (यदि वार्षिक लेखा को अंतिम रूप दिए जाते समय अधिशेष उपलब्ध हो तो) जो कि आय-व्यय लेखा (योजना) में प्रभारित किया जा रहा है। ये बीआरआर निधि पब्लिक सेक्टर बैंकों में बेहतर रिटर्न के लिए सावधि जमा किया जा रहा है। बॉन्ड रिडीम होने के पश्चात, रिडम्पशन निधि को रा.रा.क्षे.यो.बो. निधि में अंतरित किया जाता है।

13. रा.रा.क्षे.यो. बोर्ड ने 2010-11 में प्राईवेट प्लेसमेंट के जरिए कर योग्य एनसीआरपीबी बॉर्ड सिरीज-1(2020) से ₹500 करोड जुटाए। भारतीय प्रतिभूति विनमय बोर्ड (सेबी) के दिनांक 11.05.2009 के परिपत्र सं. एसईबीआई/आईएमडी/बॉन्ड/1/2009/11/2005 के अनुसरण में यह बॉन्ड ईशु के ट्रस्टी यानी कार्पोरेशन बैंक के पास सभी वर्तमान और भावी ऋणों पर श्रवात्मक लियन के द्वारा सुरक्षित है।
14. **अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए अनुदान:**
एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने दिनांक 22.03.2012 को संपन्न अपनी 32वीं बैठक में अनुमोदित किया था कि रा.रा.क्षे. तथा समसुविधा संपन्न क्षेत्रों में संस्वीकृत जल, सीवरेज तथा जल निकासी की परियोजनाओं की लागत की 15% तक राशि बोर्ड अनुदान के रूप में प्रदान करेगा। जल, सीवरेज तथा एसडब्ल्यूएम सेक्टर की सभी परियोजनाएं जो पीएसएमजी (PSMG) द्वारा 01.04.2012 तथा इसके बाद 46वीं बैठक (04.08.2011 को संपन्न) के बाद स्वीकृत की गई है, जिनमें 01.04.2012 तक ऋण राशि प्रदान नहीं गई है, अनुदान राशि पाने के योग्य है। ये अनुदान प्रतिपूर्ति रूप में परियोजना के पूर्ण होने तथा ऋण की अनुबंधित शर्तों को पूरा करने पर प्रदान किया जाएगा। अतः अवसंरचना परियोजनाओं हेतु अनुदान के भुगतान हेतु आय एवं व्यय खाते में आवश्यक प्रावधान तैयार किए जा रहे हैं तथा इन्हें "अवसंरचना परियोजनाओं हेतु अनुदान पर व्यय" शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया जाता है।
15. **बाह्य मुद्रा में लेन देन:**
बाह्य मुद्रा में हुए लेनदेन का लेखा लेनदेन की दिनांक की विनिमय दरों के अनुसार किया जाता है। बाह्य मुद्रा में लिए गए ऋण जैसे एडीबी/केएफब्ल्यू से लिए गए ऋणों को वर्ष के अंत में प्रचलित विनिमय दरों के अनुसार परिवर्तित किया जाता है तथा परिणामस्वरूप लाभ/हानि को आय में प्रभारित किया जाता है।

ह./-
वित्त एवं लेखा अधिकारी

ह./-
निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)

ह./-
सदस्य सचिव



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

दिनांक 31.3.2017 को तुलन-पत्र के भाग के रूप में संलग्न लेखों पर टिप्पणियां तथा आकस्मिक देनदारियों की स्थिति:

प्रधान निदेशक, वाणिज्य लेखा परीक्षा, भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग द्वारा प्रबंधन पत्र संख्या डी.डी.-III/A/c/NCRPB/10-3/2012-13/18 दिनांकित 14.10.2013 में की गई समुक्तियों के अनुपालन में, लेखों पर टिप्पणियां अलग से दिखायी गई हैं।

1. पूर्व अवधि व्यय

प्रधान निदेशक, लेखा परीक्षा द्वारा अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट संख्या डी.डी.-III/Annual/A/c/NCRPB10-3/2012-13/489 दिनांकित 10.10.2013 में की गई समुक्तियों के आधार पर पूर्वअवधि व्यय को अलग से आय-व्यय लेखा में दिखाया गया है।

2. एन. सी. आर. नियोजन एवं निगरानी सेल

क) बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, एनसीआर सेल पर हुए व्ययों की प्रतिपूर्ति सम्बंधित एनसीआर प्रकोष्ठ/राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत दावों के सत्यापन के पश्चात एनसीआरपीबी द्वारा सम्बंधित राज्य सरकार को की जाती है। ये दावे वित्तीय वर्ष की समाप्ति और वित्तीय वर्ष के वार्षिक लेखों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद बोर्ड को प्रस्तुत किए जाते हैं, इसलिए एनसीआर सेलों से प्राप्त विगत वर्षों के दावों के आधार पर अपेक्षित प्रावधान किए गए हैं। 31.03.2017 तक देय एनसीआर सेल सम्बंधी व्यय के लिए ₹3,15,03,570/- का प्रावधान 31.03.2017 को समाप्त वर्ष के वार्षिक लेखों के साथ संलग्न तुलनापत्र की अनुसूची 6 में दर्शाया गया है।

ख) वर्ष 2016-17 में लेखों के माध्यम से निम्नलिखित समायोजन पारित किए गए:

(i) हरियाणा सेल: हरियाणा सेल को देय व्यय के लिए वर्ष 2015-16 में ₹1,10,03,303/- का प्रावधान किया गया था परंतु इसकी तुलना में वर्ष 2016-17 में ₹1,21,72,907/- का वास्तविक भुगतान किया गया। उक्त के अनुसार ₹11,69,604/- की अतिरिक्त राशि को आय एवं व्यय (योजना) में प्रभारित किया गया है।

- (ii) उत्तर प्रदेश सेल: उत्तर प्रदेश सेल को वर्ष 2015-16 में देय व्यय के लिए ₹ 99,37,614/- का प्रावधान किया गया परंतु इसके विपरीत, वर्ष 2016-17 में प्रतिपूर्ति के लिए ₹94,30,334/- की रकम पास की गयी। अतः ₹5,07,280/- के अतिरिक्त प्रावधान को चालू वित्त वर्ष के आय एवं व्यय (योजना) में वापस लिखा गया है।
- (iii) राजस्थान सेल: राजस्थान सेल को देय व्यय के लिए वर्ष 2015-16 में ₹ 89,33,708/- का प्रावधान किया गया परंतु इसके विरुद्ध वर्तमान वित्त वर्ष 2016-17 में ₹ 99,56,200/- की राशि का वास्तविक भुगतान किया गया। अतः ₹ 10,22,492/- की अतिरिक्त राशि आय एवं व्यय (योजना) में पूर्व अवधि व्यय में प्रभारित की गई है।
- (iv) दिल्ली सेल: वर्ष 2013-14 से दिल्ली सेल को देय व्यय हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि वर्ष 2009-10 से कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है। अतः वर्ष 2009-10 से 2012-13 के लिए बनाया गया ₹51,66,269/- का एक प्रावधान प्रतिलेखित किया गया है।
- (ग) एनसीआर सेल व्यय के लिए निम्न प्रकार से वर्तमान वित्त वर्ष 2016-17 के लिए ₹3,15,03,570/- का प्रावधान किया गया है तथा उसे आय एवं व्यय (योजना) खाते में प्रभारित किया गया है :

राजस्थान	₹ 96,97,364/-
उत्तर प्रदेश	₹ 96,33,299/-
हरियाणा	₹ 1,21,72,907/-
दिल्ली	शून्य
कुल	₹ 3,15,03,570/-

दिनांक 31.3.2017 को समाप्त वर्ष हेतु वार्षिक लेखों की अनुसूची-6 के अनुसार एनसीआर सेलों को देय व्यय का कुल प्रावधान ₹ 3,15,03,570/- किया गया है।

3. आयकर

बोर्ड की आय को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23सी)(iv) के अंतर्गत कर-निर्धारण वर्ष 2003-04 से दिनांक 2.5.2008 के आयकर आदेश के तहत आयकर से छूट प्राप्त है। इसे ध्यान में रखते हुए वर्ष 2016-17 में बोर्ड के वार्षिक लेखों में आयकर का प्रावधान नहीं बनाया गया है। परंतु वर्ष 2016-17 के लिये उधारकर्ता-अभिकार्यों (एजेंसियों) / बैंकों ने वर्ष 2016-17 के दौरान बोर्ड को दिए गए ब्याज भुगतान पर ₹ 13,74,54,995/- का टी.डी.एस. काटा है। इस राशि में दिनांक 31.03.2017 तक, बैंकों द्वारा एफडीआर एवं जमा पर दिए ब्याज पर काटा गया

टीडीएस ₹ 3,10,87,155/- तथा पर उधारकर्ता एजेंसियों द्वारा ऋणों पर काटा गया टीडीएस ₹77,87,096/- का शामिल है। इसके अतिरिक्त, ₹ 2,27,37,664 रुपये का टीडीएस, टैक्स रेमिटन्स के विरुद्ध कॉरपोरेशन बैंक को देय है, जैसा कि 2016-17 के दौरान उनके द्वारा दिए गए ब्याज पर टीडीएस के रूप में फार्म 26AS में दर्शाया गया है। तदनुसार, वर्ष 2016-17 के लिए बोर्ड के वार्षिक लेखों के साथ संलग्न अनुसूची 10 में शीर्ष "अग्रिम और अन्य वसूली योग्य राशि" के तहत ₹13,74,65,831/- स्रोत पर कर कटौती के रूप में दर्शाया गया है। इसके लिए आकलन वर्ष 2017-18 का आयकर रिटर्न भरते समय आयकर विभाग से दावा किया जाएगा।

वित्त वर्ष 2007-08 से 2015-16 से सम्बद्ध अग्रिम आयकर/वसूली योग्य स्रोत पर आयकर कटौती (निवल का प्रावधान) की ₹53,61,99,722/- की राशि बोर्ड के 31.3.2016 को समाप्त वर्ष के तुलना पत्र में दर्शाई गई। पूर्व उधारकर्ता एजेंसियों/बैंकों ने वर्ष 2016-17 के दौरान बोर्ड को किए गए ब्याज भुगतान पर ₹13,74,54,995/- का टीडीएस काटा। तदनुसार 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार आयकर विभाग से ₹67,36,54,717/- वसूल किए जाने हैं।

4. बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय एजेंसियों से उधार

क) एशियाई डेवलपमेंट बैंक: पहली किश्त की राशि 78 मिलियन अमेरिकी डालर में से 18 मिलियन अमेरिकी डालर वर्ष 2013-14 में रद्द कर दी गई है तथा दिनांक 31.3.2014 की स्थिति के अनुसार बोर्ड ने 60मिलियन अमेरिकी डॉलर की रकम का पूर्ण उपयोग कर लिया है। एडीबी से ली गई कुल बकाया ऋण डालर 58.43मिलियन (₹ 378.89 करोड़) है। इससे पूर्व कुल बकाया ऋण पर विनिमय दरों के अंतर पर हुआ लाभ ₹ 8.64करोड़ "बाजार उधारी पर व्यय" शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है तथा आय एवं व्यय (योजना) में प्रभारित किया गया।

ख) केएफडब्ल्यू (जर्मन द्विपक्षीय एजेंसी): दिनांक 31.3.2015 की स्थिति के अनुसार, केएफडब्ल्यू से ली गई कुल बकाया ऋण राशि 19.31मिलियन यूरो (₹145.05 करोड़) है। वर्ष 2016-17 के दौरान, बोर्ड ने केएफडब्ल्यू से यूरो 40.05 मिलियन (₹ 286.16 करोड़) का नया ऋण लिया है। 31.3.2017 की स्थिति के अनुसार, केएफडब्ल्यू से बकाया उधारी यूरो 59.36 मिलियन है तथा विदेशी मुद्रा दरों के अनुसार ₹ 411.06 करोड़ के बराबर है। वर्ष 2016-17 के दौरान कुल बकाया ऋण पर विनिमय दरों के अंतर के कारण हुए लाभ ₹ 20.15 करोड़ को "बाजार उधारी पर व्यय" शीर्ष के अंतर्गत दिखाया गया है तथा आय तथा व्यय (योजना) में प्रभारित किया गया है।

5. अवसंरचना परियोजना हेतु अनुदान

दिनांक 31.3.2016 की स्थिति के अनुसार अवसंरचना परियोजना हेतु अनुदान का कुल प्रावधान ₹ 102,37,31,750/- करोड़ था जैसा कि दिनांक 31.03.2016 को समाप्त वर्ष के वार्षिक लेखे में दिखाया गया है। चूंकि जलापूर्ति, सीवरेज एवं विद्युत सेक्टर की कोई परियोजना इस अनुदान के मापदंडों को पूर्ण नहीं कर पाई इसलिए वर्ष 2016-17 में कोई अनुदान जारी नहीं किया गया। वर्ष 2016-17 के दौरान बोर्ड के लेखों में निम्नलिखित समायोजन किए गए:

क) पीएचईडी राजस्थान की चार जल आपूर्ति परियोजनाओं के संबंध में अनुदान के लिए खातों में ₹ 1187.90 लाख का एक नया प्रावधान 7.8.2013 को आयोजित 50 वीं पीएसएमजी -1 में अनुमोदित किया गया था, जिसमें इस परियोजना के लिए पहली ऋण किश्त 2016-17 के दौरान जारी की गई थी;

ख) परियोजनाओं के संबंध में 2016-17 के दौरान खातों में ₹ 6,051.46 लाख के अतिरिक्त प्रावधान, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार अनुदान घटक के लिए अप्रासंगिक हो गए:

- एनसीआरपीबी ने "जल आपूर्ति योजना नलहार मेडिकल कॉलेज और नूह शहर" के संबंध में अनुदान के लिए ₹ 2,250 लाख (अर्थात् परियोजना लागत का 15%) का प्रावधान किया था। यह ध्यान में रखते हुए कि समय समाप्त हो रहा है और परियोजना अनुदान प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करती है, चालू वर्ष के दौरान ₹ 2,250.00 लाख का प्रावधान खातों में वापस लिखा गया था;
- एनसीआरपीबी ने उत्तर प्रदेश के जीएनआईडीए के चार परियोजना के अनुदान के लिए ₹ 5309.85 लाख (अर्थात् परियोजना लागत का 15%) का प्रावधान किया था। पीएसएमजी-आई की 54वीं बैठक में इन परियोजनाओं के संबंध में "परियोजना दिए जाने की तारीख" को ही "परियोजना की शुरुआत की तिथि" मानने के सम्बंध में लिए गए निर्णय के अनुसार, अनुदान की वास्तविक देयता वर्ष 2018-19 में होगी, तदनुसार अतिरिक्त प्रावधान ₹ 1,327.46 लाख का, चालू वर्ष के दौरान खातों में प्रो-राटा आधार पर वापस लिखा गया;
- जुलाई 2015 में स्वीकृत "आईएमटी मनेसर में एचएसआईआईडीसी द्वारा जल आपूर्ति परियोजना" की धीमी प्रगति के आधार पर, दिसंबर 2018 की समाप्ति की तारीख के अनुसार, 31.3.2016 तक की गई ₹ 1,119.00 लाख का प्रावधान मौजूदा वर्ष में वापस लिखा गया;
- पीएचईडी हरियाणा की तीन परियोजनाओं के संदर्भ में (47वीं पीएसएमजी -1 में स्वीकृत दो जल परियोजनाएं और 49 वीं पीएसएमजी-1 में अनुमोदित एक जल निकासी परियोजना) जिनके पूर्ण होने का समय जुलाई 2016 था, के लिए 31.3.2016 तक के लिए ₹1151.55 लाख का प्रावधान था जो कि वर्ष 2016-17 में समाप्त कर दिया गया क्योंकि परियोजनाएं समयानुसार नहीं चल रही थी;

➤ पीएचईडी राजस्थान के "भिवाडी जल आपूर्ति परियोजना" के संबंध में जिसके पूर्ण होने का समय नवंबर 2016 था के संबंध में 31.03.2016 तक के ₹406.90 लाख के प्रावधान को समाप्त किया गया। पीएसएमजी-1 की 54वीं बैठक में इन परियोजनाओं के संबंध में "परियोजना दिए जाने की तारीख" को ही "परियोजना की शुरुआत की तिथि" मानने के सम्बंध में लिए गए निर्णय के अनुसार, अनुदान की वास्तविक देयता वर्ष 2018-19 में होगी, तदनुसार ₹ 203.45 लाख के अतिरिक्त प्रावधान को वर्ष 2016-17 के दौरान खातों में प्रो-रटा आधार पर वापस लिखा गया;

31.3.2017 को देय "इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए अनुदान" का कुल प्रावधान अब ₹53,53,75,750/- है, जैसा कि 31.3.2017 को समाप्त वर्ष के वार्षिक खातों के साथ तुलना पत्र की अनुसूची-6 में दिखाया गया है।

6. विशेष रिजर्व/बांड रिडंपशन रिजर्व (बी.आर.आर.)

दिनांक 31.3.2016 की स्थिति के अनुसार कुल बीआरआर ₹ 410.91 करोड़ था। वर्ष 2016-17 के दौरान, ₹102.99 करोड़ (जिसमें ब्याज पुनर्निवेश भी शामिल है) की राशि बीआरआर में अंतरित की गई जो कि आय एवं व्यय (योजना) में प्रभारित की गई। इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने अगस्त, 2016 में ₹134.90 करोड़ के असुरक्षित करयोग्य बांड 2019 सिरीज-II का काल आप्शन के द्वारा विमोचन किया है। यह रकम बीआरआर से ली गई है। वर्ष 2016-17 के वार्षिक लेखों की सूची 2 के अनुसार दिनांक 31.3.2017 को कुल बीआरआर ₹379.00 करोड़ है।

7. स्थापना एवं प्रशासनिक व्यय - योजनागत व गैर-योजनागत

अनुसूची 13 में शीर्ष स्थापना व्यय (योजना) के अंतर्गत दर्शाए गए ₹82,80,219/- बोर्ड के आंतरिक प्रोदभवन से वर्ष 2016-17 के दौरान, बोर्ड के 10 कर्मचारियों को दिए गए वेतन के सम्बंध में है। ये 5 पद वर्ष 1998-99 में सरकार द्वारा सृजित/स्वीकृत किए गए थे तथा इन पदों के लिए बोर्ड के आंतरिक जमा से व्यय किया जाता है। इसके अतिरिक्त 5 अस्थाई घद आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के पत्र दिनांकित 27.1.2011 के द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए परियोजना प्रबंधन इकाई (प्रोजेक्ट विंग) के लिए सृजित किए गए हैं जिनके लिए बोर्ड की आंतरिक आय से व्यय किया जाना अपेक्षित है। तदनुसार बोर्ड कार्यालय वार्षिक लेखों में दर्शाए अनुसार वर्ष 1999-2000 से इस व्यय को अपने आंतरिक प्रोदभवन से जमा कर रहा है तथा इसे आय-व्यय (योजना) में दर्शाया जा रहा है।

भारत सरकार द्वारा गैर योजनागत शीर्ष के अंतर्गत स्थापना एवं प्रशासनिक व्यय के लिए दिए गए बजट समर्थन के अलावा बोर्ड अपने आंतरिक प्रोदभवन से सभी खर्च पूर्ण करते आया है।

8. निवेश: एनसीआर परिवहन निगम में इक्विटी योगदान

एनसीआरटीसी के गठन के लिए कैबिनेट नोट दिनांक 11.07.2013 को अनुमोदित किया गया था। जापन और एसोसिएशन के लेख दिनांक 01.08.2013 को हस्ताक्षरित किए गए थे तथा एनसीआरटीसी का गठन 21.08.2013 को हुआ। इसके अतिरिक्त, बोर्ड की 34वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आरआरटीएस संरक्षण सहित कार्यान्वयन के सभी मुद्दों को एनसीआरटीसी द्वारा संबोधित किया जाएगा। एनसीआरटीसी, ₹100 करोड़ के प्रारम्भिक कोष के साथ, आरआरटीएस कोरीडोर के डिजाइन, वित्त पोषण और कार्यान्वयन का स्वामित्व रखता है तथा इस प्रारम्भिक कोष में निम्नलिखित अंशदान दिए जाने हैं:-

सं.	इकाई/प्रमोटरों की प्रकृति	एनसीआरटीसी में हिस्सा (%)	रकम (₹ करोड़ में)
1.	शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार	22.5%	22.50
2.	रेल मंत्रालय, भारत सरकार	22.5%	22.50
3.	रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार	12.5%	12.50
4.	उत्तर प्रदेश सरकार	12.5%	12.50
5.	हरियाणा सरकार	12.5%	12.50
6.	राजस्थान सरकार	12.5%	12.50
7.	एनसीआर प्लानिंग बोर्ड	5%	5.00
	कुल	100%	100.00

वित्त वर्ष 13-14 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय योजना बोर्ड ने एन.सी.आर. ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में ₹. 5.00 करोड़ (5%) की इक्विटी शेयर में निवेश किया है। जिसके अनुरूप एन.सी.आर. ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड 100 रुपये प्रत्येक मूल्य के 5,00,000 शेयर प्रमाण पत्र जारी किए हैं। जो कि विशिष्ट प्रमाण पत्र संख्या 3 और 10 विशिष्ट संख्या के अनुसार 2501 से 2750 अर्थात् 250 इकाइयाँ और विशिष्ट संख्या 1754001 से 2253750 अर्थात् 4,99,750 इकाइयाँ, जो की सदस्य सचिव एन.सी.आर. प्लानिंग बोर्ड या निदेशक एन.सी.आर.टी.सी. के पक्ष में जारी हैं।

9. वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋणों, अग्रिमों की अनुसूची-10 में दर्शाए अनुसार 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार राज्य सरकार/कार्यान्वयन एजेंसी को ऋणों/अग्रिमों के रूप में ₹ 28,92,58,64,906/- का बकाया एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की संबंधित उधारकर्ता एजेंसियों से बकाया की पुष्टि के अध्यधीन है।

10. आय एवं व्यय खाते तथा बैलेंस शीट में चालू वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि करने के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ें, जहां आवश्यक हो, पुर्नव्यवस्थित किए गए हैं।

ह./-
वित्त एवं लेखा अधिकारी

ह./-
निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)

ह./-
सदस्य सचिव